न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या — 100/2024

वादी :—

1. भोराराम पुत्र भूरीया उर्फ भूराराम
2. मुकनाराम पुत्र पुत्र भूरीया उर्फ भूराराम
3. देदाराम पुत्र भूरीया उर्फ भूराराम
4. जिमनी पुत्री भूरीया उर्फ भूराराम
5. होनी पुत्री भूरीया उर्फ भूराराम जातियान सिरवी निवासी बेरा जूनोडा चण्डावल तहसील जिला पाली राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी :—

1. दुर्गाराम पुत्र भोलाराम,
2. भीयाराम पुत्र भोलाराम
3. प्रभुराम पुत्र भोलाराम
4. रूकडी पुत्री भोलाराम जातियान सिरवी निवासी चण्डावल
5. नर्बदा पुत्री जोगाराम
6. लक्ष्मी पुत्री जोगाराम
7. कमला पुत्री जोगाराम
8. सन्तोष पुत्री जोगाराम
9. मोहनी पुत्री जोगाराम जातियान सिरवी निवासी बेरा पावटी चण्डावल
10. पेमाराम पुत्र चौथाराम जातियान सिरवी निवासी बेरा पावटी
11. भंवरी पत्नी रतनाराम
12. विद्या पुत्री रतनाराम
13. पिस्ता पुत्री रतनाराम
14. गुडीया पुत्री रतनाराम
15. नारायणलाल दत्तक पुत्र रतनाराम जातियान सिरवी निवासी चण्डावल
16. भगाराम पुत्र मगाराम उर्फ मगिया
17. जसाराम पुत्र मगाराम उर्फ मगिया
18. मांगीलाल पुत्र मगाराम उर्फ मगिया
19. बाबूलाल पुत्र मगाराम उर्फ मगिया
20. गीता पुत्री मगाराम उर्फ मगिया
    सेणी पुत्री मगाराम उर्फ मगिया
21. फुली देवी पुत्री मगाराम उर्फ
22. मगिया जातियान सिरवी निवासीगण चण्डावल
23. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उपस्थितिः–

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2 श्री श्रीशचन्द मालवीय अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 23/8/24

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम गुडा बच्छराज तहसील सोजत तहसील सोजत जिला पाली मे वर्तमान खसरा नम्बर 140, रकबा 0.9600 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.2000 हैक्टर खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3000 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.9600 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 22 के पूर्वज चौथिया, भूरिया, मगिया पुत्र मुला जाति सिरवी के नाम से आई हुई स्थित है। जिसमें चौथिया पुत्र मूला, भोलाराम पुत्र चौथाराम, जोगाराम पुत्र चौथाराम, रतनाराम पुत्र चौथाराम, भूरीया उर्फ भूराराम पुत्र मूला , मगिया उर्फ मगाराम पुत्र मूला का देहान्त हो चुका हे। वादस्थ भूमि जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 22 के पूर्वज चौथिया, भूरिया, मगिया, पुत्र मूलाराम के नाम दर्ज है जो जमाबन्दी से साबित है। जमाबन्दी सम्वत 2023 से 26 में पटवारी हल्का के द्वारा नई जमाबन्दी बनाते समय लापवरवाही पूर्वक चौथिया, भूरिया, मगिया पुत्र मुला कौम सिरवी के स्थान पर चौथा पुत्र भुरा, मांगीया पुत्र मुला कौम सिरवी नाम दर्ज कर दिया, इस प्रकार चौथा व भूरा जो स्व0 मूला के पुत्र है को चौथा पुत्र भूरा बना दिया गया। इसी प्रकार द्वितीय सेटलमेन्ट के बाद मगिया पुत्र मूला के स्थान पर मांगीलाल पुत्र गुलाराम दर्ज कर दिया। इस प्रकार वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर सरहद मौजा ग्राम गुडा बच्छराज तहसील सोजत तहसील सोजत जिला पाली में वर्तमान खसरा नम्बर 140, रकबा 0.9600 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.2000 हैक्टर खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3000 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.9600 हैक्टर की कृषि भूमि में दर्ज चौथाराम पुत्र भूराराम मांगीलाल पुत्र गुलाराम के स्थान पर वादीगण के नाम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 15 के नाम 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 16 से 22 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 15 व 16 से 22 की ओर से पृथक पृथक जबादा दावा मय काउण्टर दावा पेश कर अधिवक्ता श्रीशचन्द मालवीय ने वकालतनामा पेश किया सा0मि0 है।

उपखण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र के पैरा संख्या 01 स्वीकार है, पैरा संख्या 02 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। पैरा संख्या 3 का जबाव पेश कर निवेदन किया कि वादस्थ भूमि में वादीगण का 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 से 15 का 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 16 से 22 का 1/3 हिस्सा आता है जिसमें पक्षकार शान्तिपूर्वक काबिज है जमाबंदी संवत् 2023–2026 बनाते समय सहवन से चौथिया भूरिया

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

मगीया पुत्र मूला के स्थान पर चौथा पुत्र भूरा मागीया पुत्र भूरा दर्ज कर दिया गया, जो गलत है साथ ही द्वितीय सेटलमेट के बाद मगीया पुत्र मूला के स्थान पर मांगीलाल पुत्र गुलाराम दर्ज कर दिया, जो गलत है। प्रतिवादी गण ने वादीगण को कभी भी धमकिया नहीं दी है। वादीगण का 1/3 हिस्सा अवश्य आता है। वादीगण माफिक ईश्दुआ अनुसार अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है जिसमे हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है।
प्रतिवादीगण द्वारा पृथक – पृथक काउण्टरवाद प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम गुडा बच्छराज तहसील सोजत तहसील सोजत जिला पाली में वर्तमान खसरा नम्बर 140, रकबा 0.9600 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.2000 हैक्टर खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3000 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.9600 हैक्टर की कृषि भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 को वादस्थ भूमि में 1/3 हक हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 16 से 22 को 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता वादी जबाव काउण्टरवाद पेश नहीं करना चाहने से जबाव का अवसर समाप्त कर जबावदावा आज बन्द किया गया।

प्रकरण में जबावदावा में कोई प्रतिवादी प्रतिकारात्मक टिप्पणी नहीं होने से तनकियात कायम नही की जाकर पत्रांवली साक्ष्य वादी में पेश हुई। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में तस्दीकसुदा शपथ पत्र पीडब्लू – वन देदाराम का पेश किया एवं दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2010–2018 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श – 1 है, जमाबंदी संवत 2019– 2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 2 है, जमाबंदी संवत् 2027– 2030, की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 4 है, खसरा मिलान कुल पेज 8 प्रदर्श 5 है, जोराराम पंवार का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 है, मगाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 है, भोलाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 है, रतनलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 9 है, चुन्नीदेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 10 है, जमाबंदी संवत् 2074–2077 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 11 है, दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये। जिरह प्रतिवादी एवं पुनः परिक्षण शून्य रहा।

बहस वकुलाय सुनीं गयी। विद्वान अभिभाषक अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम गुडा बच्छराज तहसील सोजत तहसील सोजत जिला पाली में वर्तमान खसरा नम्बर 140, रकबा 0.9600 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.2000 हैक्टर खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3000 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.9600 हैक्टर, की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 22 के पूर्वज चौथिया, भूरिया, मगिया पुत्र मुला जाति सिरवी के नाम से आई हुई स्थित है। जिसमें चौथिया पुत्र मूला, भोलाराम पुत्र चौथाराम, जोगाराम पुत्र चौथाराम, रतनाराम पुत्र चौथाराम, भूरीया उर्फ भूराराम पुत्र मूला , मगिया उर्फ मगाराम पुत्र मूला का देहान्त हो चुका है। वादस्थ भूमि जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 22 के पूर्वज चौथिया, भूरिया, मगिया, पुत्र मूलाराम के नाम दर्ज है जो जमाबन्दी से साबित है। जमाबन्दी सम्वत 2023 से 26 में पटवारी हल्का के द्वारा नई जमाबन्दी बनाते समय लापवरवाही पूर्वक चौथिया, भूरिया, मगिया पुत्र मुला कौम सिरवी के स्थान पर चौथा पुत्र भुरा, मांगीया पुत्र मुला कौम सिरवी नाम दर्ज कर दिया, इस प्रकार चौथा व भूरा जो स्व0 मूला के पुत्र है को चौथा पुत्र भूरा बना दिया गया। इसी प्रकार द्वितीय सेटलमेन्ट के बाद मगिया पुत्र मूला के स्थान पर मांगीलाल पुत्र गुलाराम दर्ज कर दिया।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

इस प्रकार वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर सरहद मौजा ग्राम गुडा बच्छराज तहसील सोजत तहसील सोजत जिला पाली मे वर्तमान खसरा नम्बर 140, रकबा 0.9600 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.2000 हैक्टर खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3000 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.9600 हैक्टर की कृषि भूमि में दर्ज चौथाराम पुत्र भूराराम मांगीलाल पुत्र गुलाराम के स्थान पर वादीगण के नाम 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 15 के नाम 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 16 से 22 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की। जबाव बहस मे अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा वादी के साथ – साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 15 व 16 से 22 को भी वादस्थ भूमि में 1/3 1/3 हक हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद पत्र, जबावदावा, काउण्टरवाद, फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर व मनन किया गया। वस्तुतः वादस्थ भूमि में संवत् 2010–2019 में चौथिया, भूरिया, मेगिया पिता मूला कौम सीरवी साकिन चण्डावल का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज सुदा था, जो प्रदर्श वन जमाबंदी संवत् 2010 से 2019 से स्पष्ट होता है। किन्तु आगामी जमाबंदी सवंत् 2023 से 2026 प्रदर्श तीन मे वादस्थ भूमि के खातेदार चौथा पुत्र भूरा, मांगीया पुत्र मूला कौम सीरवी साकिन चण्डावल इन्द्राज कर दिया गया। तत्पश्चात् द्वितीय सेटलमेंट हुआ। जिसके पश्चात् वादस्थ भूमि में चौथाराम पुत्र भूराराम, मांगीलाल पुत्र गुलाराम 1/2 – 1/2 इन्द्राज कर दिया गया जो आदिनांक तक यथावत् है। जिसमें स्पष्ट होता है कि तत्कालीन अधिकारी / कर्मचारी द्वारा सहवन से मूला के तीनो पुत्र चौथिया, भूरिया, मगीया पुत्र मूला के स्थान पर चौथा पुत्र भूरा, मांगीया पुत्र मूला गलत इन्द्राज कर दिया गया एवं द्वितीय सेटलमेंट के पश्चात् मांगीया पुत्र मूला का फिर से नाम परिवर्तन कर मांगीलाल पुत्र गुलाराम इन्द्राज कर दिया, जो राजस्व रेकर्ड में आदिनांक तक यथावत है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउण्टरवाद में फौत भूरिया उर्फ भूराराम, चौथिया उर्फ चौथाराम, मगिया उर्फ मगाराम प्रत्येक का 1/3 हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करते हुए इनके विधिक वारीसानों के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रकरण में फौत भूरिया उर्फ भूराराम, चौथिया उर्फ चौथाराम, मगीया उर्फ मगाराम प्रत्येक का 1/3 – 1/3 हक हिस्सा घोषित कर फौत भूरिया उर्फ भूराराम, चौथिया उर्फ चौथाराम, मगीया उर्फ मगाराम के विधिक वारीसानो की जांच कर बाद जांच राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश तहसीलदार, सोजत को दिया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउण्टरवाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। डिक्री इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम गुडा बच्छराज तहसील सोजत तहसील सोजत जिला पाली में वर्तमान खसरा नम्बर 140, रकबा 0.9600 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.2000 हैक्टर खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3000 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.9600 हैक्टर की कृषि भूमि में फौत मूला के विधिक वारीस चौथिया, भूरिया, मगीया पिता मूला प्रत्येक को 1/3 – 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि चौथिया, भूरिया व मगीया का देहान्त हो चूका है जिस कारण तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है कि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उक्त तीनों चौथिया, भूरिया, मगीया के विधिक वारीसानों की जांच कर बाद जांच फौतेदगी नामान्तकरण दर्ज कर विधिक वारीसानों का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल – दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 23/01/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ओ020 नियम 6 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

वादी :–

1. भोलाराम पुत्र भूरीया उर्फ भूराराम
2. मुकनाराम पुत्र पुत्र भूरीया उर्फ भूराराम
3. देदाराम पुत्र भूरीया उर्फ भूराराम
4. जिमनी पुत्री भूरीया उर्फ भूराराम
5. होनी पुत्री भूरीया उर्फ भूराराम जातियान सिरवी निवासी बेरा जूनोडा चण्डावल तहसील जिला पाली राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी :–

1. दुर्गाराम पुत्र भोलाराम
2. भीयाराम पुत्र भोलाराम
3. प्रभुराम पुत्र भोलाराम
4. रूकडी पुत्री भोलाराम जातियान सिरवी निवासी चण्डावल
5. नर्बदा पुत्री जोगाराम
6. लक्ष्मी पुत्री जोगाराम
7. कमला पुत्री जोगाराम
8. सन्तोष पुत्री जोगाराम
9. मोहनी पुत्री जोगाराम जातियान सिरवी निवासी बेरा पावटी चण्डावल
10. पेमाराम पुत्र चौथाराम जातियान सिरवी निवासी बेरा पावटी
11. भंवरी पत्नी रतनाराम
12. विद्या पुत्री रतनाराम
13. पिस्ता पुत्री रतनाराम
14. गुडीया पुत्री रतनाराम
15. नारायणलाल दत्तक पुत्र रतनाराम जातियान सिरवी निवासी चण्डावल
16. भगाराम पुत्र मगाराम उर्फ मगिया
17. जसाराम पुत्र मगाराम उर्फ मगिया
18. मांगीलाल पुत्र मगाराम उर्फ मगिया
19. बाबूलाल पुत्र मगाराम उर्फ मगिया
20. गीता पुत्री मगाराम उर्फ मगिया
    सेणी पुत्री मगाराम उर्फ मगिया
21. फुली देवी पुत्री मगाराम उर्फ
22. मगिया जातियान सिरवी निवासीगण चण्डावल
23. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

वाद संख्या :– 100 / 2024

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी 'श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित तथा श्रीशचन्द मालवीय लौहार अधिवक्ता प्रतिवादी, सोजत पेश होकर हुक्म दिया' जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम गुडा बच्छराज तहसील सोजत तहसील सोजत जिला पाली में वर्तमान खसरा नम्बर 140, रकबा 0.9600 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 157 रकबा 0.2000 हैक्टर खसरा नम्बर 158 रकबा 0.3000 हैक्टर कुल खसरा 04 कुल रकबा 1.9600 हैक्टर की कृषि भूमि में फौत मूला के विधिक वारीस चौथिया, भूरिया, मगीया पिता मूला प्रत्येक को 1/3 – 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि चौथिया, भूरिया व मगीया का देहान्त हो चूका है जिस कारण तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाता है कि उक्त तीनों यथा चौथिया, भूरिया, मगीया के विधिक वारीसानों की जांच कर बाद जांच फौतदगी नामान्तकरण दर्ज कर विधिक वारीसानों का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल – दरामद किया जावे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाबा दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23/8/24 को जारी की गई।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.